

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 288 / 2012

दर्ज दिनांक:-16.07.2012

1. देवेन्द्रसिंह पता-प्रार्थी
बनाम
2. दिगम्बरसिंह पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:
तालेराम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-12.03.2019

वकील उभयपक्ष उप./ बार-बार हिदायत के बाबजूद भी प्रतिवादी सं. 02 से 12 की तलवी नहीं कराई गई है। तलवी हेतु कई अवसर दिये गए। तलवी न कराने पर दिनांक 02.11.2018 को दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादी 09-नि.5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते

अक्षय गोदरा, आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official